

पत्र संख्या-स0द0/2018-19// 230/

1819010

// वाणिज्यकर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश
(सचलदल-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 9 मई, 2018

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)/

ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक/वि0अनु0शा0/

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

परिवहन के दौरान माल की जांच हेतु वाहन को रोके जाने एवं ऐसे परिवहित किए जा रहे माल एवं माल वाहन के डिटेन्शन, अवमुक्त एवं जब्त किए जाने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश परिपत्र संख्या-229 / 1819009 दिनांक 09-05-2018 से जारी किया गया है। विभिन्न व्यापारिक, ट्रांसपोर्ट संगठनों, अधिवक्ता संघों एवं फील्ड में कार्यरत अधिकारियों द्वारा कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों एवं जिज्ञासाओं के सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है। अतः उक्त सन्दर्भित परिपत्र के क्रियान्वयन में एकरूपता के दृष्टिगत निम्न निर्देश दिए जाते हैं :-

1. परिवहन के दौरान माल / वाहन की जांच करने वाले प्रापर आफिसर द्वारा वाहन रोके जाने (इण्टरसेप्ट) के 30 मिनट के अन्दर अपने सी0यू0जी0 नम्बर से मोबाईल नम्बर **7839669836** पर निम्न सिन्टेक्स के अनुसार मैसेज प्रेषित किया जाएगा।

ctxup<space>DET<space><Vehicle Number><Code of reason of interception>

'Reason of Interception' का कोड निम्नानुसार है:-

Code No.	Description of interception
1	For unaccompanied by E-way bill 01
2	For Goods other than declared in E-way bill 01
3	For Goods unaccompanied by Tax invoice/bill of supply
4	For Goods not traceable to a bona fide dealer
5	For any other reason

'Reason of Interception' का कोड HELP SMS के माध्यम से उपरोक्त मोबाईल नम्बर पर निम्न Syntax को प्रेषित करके प्राप्त किया जा सकेगा।

ctxup<space>DET<space><HELP>

उदाहरण - यदि वाहन संख्या-UP-32-XY-1086 से बिना ई-वे बिल 01 के माल का परिवहन होता पाया जाये तो उपर्युक्त बिन्दु-1 के अनुसार डिटेन्शन नम्बर प्राप्त करने हेतु SMS निम्न प्रकार से भेजा जाएगा:-

ctxup<space>DET<space><UP32XY1086><space><1>

2. उपर्युक्त बिन्दु संख्या-1 के अनुसार, SMS भेजने पर सम्बन्धित अधिकारी के मोबाईल पर छः डिजिट का Interception नम्बर प्राप्त होगा जिसे **FORM GST MOV-02** के शीर्ष भाग में पृष्ठ के मध्य में मूल एवं द्वितीय प्रति पर निम्न प्रकार अंकित करते हुए वाहन रोके जाने से 02 घण्टे के अन्दर वाहन प्रभारी को प्राप्त कराया जाएगा :-

इण्टरसेप्शन नम्बर

इण्टरसेप्शन नम्बर प्राप्त होने के 24 घण्टे के अन्दर विभागीय वेबसाईट comtax.up.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन पंजी-5 के माड्यूल में जाकर पंजी-5 नम्बर जनरेट किया जाएगा। निर्धारित अवधि में पंजी 5 का नम्बर जनरेट न किये जाने पर सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) से ऑनलाइन अनुमति लेकर Interception नम्बर प्राप्त होने के 72 घण्टे के अन्दर पंजी 5 नम्बर जनरेट किया जा सकेगा। यदि किसी कारण से Interception नम्बर SMS से प्राप्त नहीं होता है तो पुनः SMS कर इसे प्राप्त किया जा सकेगा।

3. इन्टरस्टेट सप्लाई के मामलों में IGST Act का उल्लंघन पाए जाने पर देय कर, अर्थदण्ड एवं जुर्माना की धनराशि IGST के अन्तर्गत कर / सेस, अर्थदण्ड एवं जुर्माना के मद में अलग-अलग जमा कराई जाएगी। इसी प्रकार इन्ट्रास्टेट सप्लाई के मामलों में SGST Act का उल्लंघन पाए जाने पर देय कर / सेस, की धनराशि SGST तथा CGST के अन्तर्गत कर के मद में जमा कराई जाएगी तथा लागू अर्थदण्ड एवं जुर्माना की धनराशि अर्थदण्ड एवं जुर्माना के मद में जमा कराई जाएगी तथा उत्तरदायित्व रजिस्टर (liability register) के सुसंगत मद में उत्तरदायित्व (liability) सृजित करते हुए सम्बन्धित मद के कैश लेजर को डेबिट करते हुए liability register में क्रेडिट कर दी जाएगी।

4. परिवहन के दौरान माल से सम्बन्धित ई- वे बिल एवं नियम 138A के अन्तर्गत वांछित अन्य प्रपत्र होने पर कर की दर के विवाद अथवा अवमूल्यन के आधार पर सामान्यतः माल का अभिग्रहण नहीं किया जाएगा बल्कि पंजीकृत व्यक्ति के खण्ड से सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) को एक विस्तृत रिपोर्ट साक्ष्य संलग्न करते हुए प्रेषित की जाएगी और यदि संभव हो तो माल का नमूना भी लेकर माल के साथ प्रेषित किया जाएगा। जिसके आधार पर सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा खण्ड स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करायी जाएगी।

5. यदि किसी माल लदे वाहन की परिवहन के दौरान किसी अन्य राज्य या केन्द्र शासित क्षेत्र या उत्तर प्रदेश के अन्दर किसी अन्य अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जा चुका हो तो पुनः उसी वाहन की जाँच नहीं की जाएगी परन्तु करापवंचन की विशिष्ट अभिसूचना प्राप्त होने पर ऐसे वाहन की पुनः जाँच की जा सकेगी।

6. माल के स्वामी का निर्धारण किस प्रकार होगा अथवा किन मामलों में माल के स्वामी का सामने आना माना जाएगा के सम्बन्ध में The Sale of Goods Act 1930 की धारा-2 (4) में माल के स्वामित्व सम्बन्धी प्रपत्रों को निम्नवत परिभाषित किया गया है :-

"Document of title to goods" includes a bill of lading, dock-warrant, warehouse keeper's certificate, wharfingers' certificate, railway receipt, multimodal transport document, warrant order for the delivery of goods and any other document used in the ordinary course of business as proof of the possession or control of goods, or authorising or purporting to authorise, either




by endorsement or by delivery, the possessor of the document to transfer or receive goods thereto represented.

स्पष्टतः माल का स्वामित्व उपरोक्त प्रपत्रों के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है। परिवहन के दौरान जिस माल के स्वामित्व से सम्बन्धित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है तथा इसे बाद में प्रस्तुत किया जाता है तो उस अभिलेख की बोनाफाईडी की जांच करते हुए स्वामित्व के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा किन्तु स्वामित्व के सम्बन्ध में यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वहां माल स्वामी का निर्धारण न हो पाने की स्थिति में यह मानते हुए कि माल स्वामी प्रश्नगत मामले में सामने नहीं आया है, तदनुसार कार्यवाही की जाएगी। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि माल स्वामी के सामने आने का तात्पर्य यह नहीं है कि माल स्वामी व्यक्तिगत रूप से समुचित अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो। इस सम्बन्ध में उसके द्वारा उक्त स्वामित्व प्रपत्रों में उल्लिखित माल के सम्बन्ध में लिखित प्राधिकार पत्र के आधार पर ही उसका सामने आना माना जाएगा।

7. परिपत्र संख्या-229 / 1819009 दिनांक 09-05-2018 के साथ संलग्न **FORM GST MOV-01** से **FORM GST MOV-11** पर क्रमांक मुद्रित कराते हुए 50-50 प्रारूप तीन प्रतियों में बाइन्डिंग कराकर बाइन्डेड बुक से ही जारी किए जायें। डिप्टी कमिश्नर(प्रशासन) के माध्यम से उक्त प्रारूपों की अलग-अलग बाइन्डेड बुक प्रिन्ट कराकर एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0) के कार्यालय में प्राप्त करते हुए इसका विवरण रजिस्टर में दर्ज कर सचलदल इकाइयों को जारी किया जाएगा।

8. सचलदल इकाइयों द्वारा किये जा रहे प्रवर्तन कार्यों को सुगम बनाने हेतु विभागीय वेब साइट पर मोबाईल मैनेजमेन्ट सिस्टम (MMS) का ऑनलाइन माड्यूल व्यास सेन्ट्रल पर विकसित किया जा रहा है जिसके क्रियाशील होने पर निर्धारित सभी प्रक्रियात्मक कार्य ऑनलाइन किया जाएगा। व्यास सेन्ट्रल के पोर्टल पर उक्त प्रक्रियाओं के क्रियाशील होने पर पोर्टल पर उपलब्ध **FORM GST MOV-01, FORM GST MOV-02, FORM GST MOV-05, FORM GST MOV-06, FORM GST MOV-07, FORM GST MOV-09, FORM GST MOV-10, एवं FORM GST MOV-11** पोर्टल से जनरेट किए जाएंगे तथा मैनुअली जारी नहीं किए जाएंगे।


अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाय तथा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं।


(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

प्र0प0सं0 व दिनांक:उक्त।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1.अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2.एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 3.एडीशनल कमिश्नर(जी0एस0टी0/विधि)वाणिज्य कर मुख्यालय।
- 4.एडीशनल डायरेक्टर, वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान।
- 5.समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।


कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।